राष्ट्र के विकास में महिला शिक्षा का योगदान

डा0 बीना यादव,

एसोसिस्ट प्रोफेसर, बी0एड0 विभाग,
खुन–खुन जी गर्ल्स डिग्री कालेज, लखनऊ

शोध सारांश

"एक नारी को शिक्षित करने का अर्थ एक परिवार को शिक्षित करना है।" वर्तमान युग को वैचारिकता का युग कहा जा सकता है। अगर स्त्री या माता अथवा गृहणी के संस्कार, शिक्षा–दीक्षा आदि उत्तम नहीं होगी तो वह समाज और राष्ट्र को श्रेण्ठ सदस्य कैसे दे सकती है? समाज के लिए स्त्री का स्वस्थ्य, खुशहाल, शिक्षित, समझदार, व्यवहार कुशल, बुद्धिमान होना जरूरी है। और यह शिक्षा द्वारा ही संभव है। जब स्त्री की स्वय की स्थिति, साामजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक आदि दृष्टिकोणों से निम्न होगी तो, वह परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे पायेगी, यह प्रश्न अतयंत चिन्ताशील है, क्योंकि एक तो स्त्रियां स्वयं राष्ट्रो की आधी से कम जनसंख्य है तथा दूसरा बच्चे, युवा प्रौढ़ और वृद्धजन उन पर अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहते है। अतः महिला शिक्षा से देश और व्यक्ति दोनों ही लाभान्वित होते है। महिला शिक्षा देश के समग्र आर्थिक उत्पादकता में भी वृद्धि करती है। बिना लड़कियों की शिक्षा के किसी भी देश का मानव विकास का सूचकांक बेहतर नहीं हो सकता। महिला शिक्षा से ही विकसित विश्व का सपना साकार होगा, जिसमें विकास के साथ खुशहाली भी होगी।

प्रस्तावना

हेनरी क्लिटंन के अनुसार, "महिलाए दुनिया में प्रतिभा का सबसे बड़ा भंडार है, जिससे अभी तक पूरी तरह, प्रयोग नहीं किया जा सका है।" वैदिक साहित्य में भी महिलाओं को शक्ति स्वरूपा कहा गया है। महिला सशक्तीकरण का तात्पर्य महिलाओं में आत्मशक्ति की भावना, स्वयं के विकल्पों को निर्धारित करने की क्षमता, स्वयं और दूसरो के लिए सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने के उनके अधिकार एवं उनमें समानता और उपलब्धियों के प्रति जागारूकता है।

महिला सशक्तीकरण एक मानसिक अवधारणा है। शिक्षा इस अवधारणा का विकास और प्रोत्साहन करती है। महिला सशक्तिकरण किसी वैयक्तिक उन्नति की बात नहीं है, वरन एक शांति पूर्ण, उन्नत, विकसित एवं खुशहाल समाज, देश और विश्व के निर्माण के लिए आवश्यक शर्त है। महिला शिक्षा और सशक्तीकरण सम्पूर्ण मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि, "वे देश और राष्ट्र, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते है, वे कभी महान नहीं बने और न ही भविष्य में कभी होगें।" यहाँ महिलाओं का सम्मान सशक्तीकरण से सीधे–सीधे सम्बन्धित है।

महिला सशक्तीकरण के लिए चल रही बहु आयामी प्रक्रिया के कारण जीवन, समाज, राजनीति, कॉरपोरेट जगत, प्रशासन सभी स्थानों पर महिलाओं की भूमिका में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आर्थिक विकास विशेष रूप से महिला नागरिकों के बीच शिक्षा द्वारा ही पूरा हो सकता है। कोई भी देश कितना भी समृद्ध एवं विशाल क्यों न हो, प्रभावी, शिक्षा के बिना नागरिकों का कोई लक्ष्य या नया सपना पूरा नहीं होगा। शिक्षा

न केवल, एक व्यक्ति को शिक्षित करती है, बल्कि उसे यह महसूस करने में भी मदद करती है कि वह समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्यावसायिक उपलब्धि, आत्म–जागरूकता और संतुष्टि शिक्षा के प्रभावी उपयोग से सुनिश्चित होगी।

शिक्षा संभावनाओं के द्वार खोलती है। अब 21वी सदी में जब महिलाए हर क्षेत्र में आगे आ रही है तो उन्हें सशक्त बनाना वास्तव में आवश्यक है। भारत एक महान शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में महिला शिक्षा के महत्व को नजर अदांज नहीं कर सकते।

शिक्षा जमीनी स्तर पर महिला सशक्तीकरण के द्वार खोलने की मुख्य कुंजी है। शिक्षा आज के तकनीकी युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने में, मदद कर परिवार, समाज और देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। महिला, शिक्षा निम्न रूपों में सशक्तीकरण में योगदान दे रही है–

आर्थिक सशक्तीकरणे के बढ़ावा देना

यूं तो सभी जानते है कि शिक्षा आर्थिक सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा लड़कियों को उनके सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन में उन्नति करने का अवसर देती है। शिक्षा महिलाओ में क्षमता निर्माण और कौशल विकास कर उनमें अनेक प्रकार से आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देती है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार

जब महिलाएं और लड़कियां शिक्षित होती है तो, वे अपने स्वास्थ्य के बारे में बेहतर निर्णय लेती है। शिक्षित महिलाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य से लेकर व्यक्तिगत स्वास्थ्य, पोषण और यौन स्वास्थ्य के बारे में अधिक जानकार होती है। इसलिए वे खुद को बचाने अपने परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में ज्यादा सचेत होती है। माना जाता है कि युगाडा में एच0आई0वी0 की सकुंचन दर में कमी लड़कियों के लिए उच्च माध्यमिक नामांकन दर का प्रत्यक्ष परिणाम थी। इस रणनीति को वैश्विक स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। देश में उच्चतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। प्रजनन दर कम शिशु और बाल मृत्यु दर वस्तुतः सामाजिक व्यवस्था पर शैक्षिक प्रभाव के सार्वभौमिक संकेतक है जो केरल में सबसे कम है।

शिक्षित महिला स्वेच्छा से विवाह एवं गर्भधारण को तैयार

गर्भधारण और विवाह जब वांछित और अपेक्षित होते है तो लोगों के लिए वरदान की तरह होते है। दुर्भाग्य से, दुनिया भर में बड़ी संख्या में महिलाओं और लड़कियों के लिए ऐसा नहीं है। शैक्षिक स्थिति अनपेक्षित गर्भधारण के सबसे बड़े निर्धारकों में से एक है। एक लेख के अनुसार दुनिया भर मे लगभग 40 प्रतिशत गर्भ धारण अनजाने में होते है। एक सर्वे के अनुसार दुनिया भर में हर पांच में एक महिला की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है। शिक्षित महिलाओं के पास गर्भ निरोधकों एवं परिवार नियोजन का अधिक ज्ञान, पहुंच और पसंद होती है। अशिक्षित महिलाओं की 18 साल की उम्र से पहले शादी करने की सभावना माध्यमिक विद्यालयो में पढ़ने वालो की तुलना में तीन गुना अधिक है। ऐसे में महिलाओं और लड़कियों को शिक्षित करना ही एक समाधान है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास में महिला शिक्षा का योगदान

अन्तर्राष्ट्रीय विकास दुनिया में सामाजिक, आर्थिक प्रगति से सम्बन्धित है। महिलाओ की शिक्षा और सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दरों के बीच सकारात्मक सह सबंध है। अर्थशास्त्री लारेंस समर्स के अनुसार "लड़कियों की शिक्षा में निवेश विकास शील दुनिया में उपलब्ध सबसे अधिक रिटर्न वाला निवेश हो सकता है।" इसी प्रकार मानव विकास सूचकांक के तीन संकेतकों में स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष एवं शिक्षा के औसत वर्ष सम्मिलित है। बिना लड़कियों की शिक्षा के किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक बेहतर नहीं हो सकता है। महिला शिक्षा से ही विकसित विश्व का सपना साकार होगा, जिसमें विकास के साथ खुशहाली भी होगी।

महिला शिक्षा एवं लैंगिक समानता

असामनता को समाप्त करना संयुक्त राष्ट्र के सह विकास लक्ष्यों में से एक है। इस लिए लैगिक असामना दूर करने के लिए शैक्षिक समानता अतयंत आवश्यक है। जेंडर इक्विटी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, जो संयुक्त राष्ट्र का चौथा सतत विकास लक्ष्य भी है। लड़को और लड़कियों के शिक्षा स्तरों के बीच लैंगिक समानता किसी भी देश के विकास का मापदंड और संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के लिए जरूरी है। वर्तमान में जहाँ साक्षरता लगभग 84.7 प्रतिशत है, वहीं महिला साक्षरता मात्र 70.3 प्रतिशत है। इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर पुरूष एवं महिला साक्षरता दर में 14.4 प्रतिशत का अंतर है। पुरूष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर वर्ष 1951 में 12.3 प्रतिशत था जबकि 1981 तक यह बढ़ कर 26.62 प्रतिशत हो गया। उसके बाद में यह निरन्तर घट रहा है महिलाओं में सशक्तीकरण सामान्यतः दूसरी पीढ़ी में आता है। पहली पीढ़ी की शिक्षित महिलाएं अपने बच्चों विशेषकर बेटियां की शिक्षा और स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखती है। जिससे उनकी बेटियां अच्छी शिक्षा प्राप्त कर समाज में अच्छा, मुकाम हासिल करती है। इसलिए 1981 के बाद से पुरूष और महिला साक्षरता दर में अंतर तेजी से कम हुआ है।

आर्थिक विकास में महिला शिक्षा का योगदान

महिला शिक्षा की कमी आर्थिक विकास में बड़ी बाधक है। शिक्षा महिलाओं को रोजगार के अवसर देकर गरीबी से बाहर निकालने का रास्ता प्रदान करती है। महिला शिक्षा से व्यक्ति और देश दोनो लाभान्वित होते है। जो व्यक्ति शिक्षा में निवेश करते है, उन्हे अपने पूरे जीवन काल में शुद्ध मौद्रिक लाभ प्राप्त होता है। प्रमुख शिक्षा अर्थशास्त्री हैरी पैट्रीनोस के अनुसार "निजी दर के रिटर्न के अनुमान के अनुसार शिक्षा की लाभप्रदता निर्विवाद, सार्वभौमिक और वैश्विक है।" महिला शिक्षा में निवेश किए गए संसाधनों पर पुरूषों की तुलना में 1.2 प्रतिशत अधिक रिटर्न मिलता है। लड़कियों को एक साल की अतिरिक्त शिक्षा दने से उनके वेतन में 10–20 प्रतिशत की वृद्धि होती जाती है। यदि कोई महिला, केवल एक वर्ष के लिए माध्यमिक विद्यालय में जाती है तो शिक्षा का यह अनुभव उसकी जीवन भर की कमाई को 20 प्रतिशत बढ़ा सकता है।

महिला शिक्षा देश के समग्र आर्थिक उत्पादकता में भी वृद्धि करती है। अनुमान है कि किसी देश के सकल घरेलू उत्पादन की वुद्धि में 0.4–0.9 प्रतिशत का अंतर केवल शिक्षा में लिंग अन्तर के कारण होता है। महिला शिक्षा समाज में धन के वितरण की समानता को भी बढ़ाती है। शिक्षा महिला को विशेषज्ञ कौशल प्रदान कर उन्हें बेहतर नौकरियों के लिए योग्य बनाती है।

महिला शिक्षा से राजनीतिक सजगता में वृद्धि

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का मतलब है कि नीतियों केवल पुरूषो की जरूरतों और चाहतों पर केन्द्रित नहीं बने बल्कि राजनीतिक व्यवस्था में उनकी आवाज भी सुनी जाए। शिक्षित महिलाओं की नागरिक भागीदारी, चुनाव बैठकों और राजनीतिक सक्रियता में भाग लेने की अधिक संभावना होती है। स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने वाली सभी महिलाएं सरोजनी नायडू, अरूण आसफ अली, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गा बाई देशमुख आदि सभी सुशिक्षित थी। स्पष्ट है कि शिक्षित महिलाएं यथास्थिति को चुनौती देती हुई निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनती है।

सामाजिक विकास में महिला शिक्षा का योगदान

महिलाओं को शिक्षित व सकारात्मक बनाने वाला समाज ही उन्नत समाज बन सकता है। प्रजनन दर, मातृ–मृत्युदर, शिशु मत्युदर में कमी, लैगिक समानता, समान अधिकार और अवसर कम, घरेलू हिंसा, परिवार में महिलाओं की अधिक सक्रिय भूमिका आदि प्रमुख सामाजिक विकास बिन्दु है। एक शिक्षित पिता की तुलना में एक शिक्षित मां से जुड़े बच्चों की न केवल जीवित रहने की उच्च दर अधिक रहती है। बल्कि उन्हें बेहतर पोषण भी मिलता है। शैक्षिक सुविधाओं की बेहतर पहुंच और स्थिति, बाल श्रम से जुड़े गरीबी के दुष्चक को तोड़ने में मदद कर सकती है। शिक्षा नारी को अनेक बंधनों से मुक्त कर उनके लिए एक नई प्रबुद्ध दुनिया के द्वार खोलती है। शिक्षा सामाजिक बुराईयों दहेज, यौन उत्पीड़न, कुप्रथआओं और पिता सतात्मक व्यवस्था को समझने और उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने में सक्षम और समर्थ बनाती है।

महिला शिक्षा के मार्ग में प्रमुख कठिनाइयों

महिला शिक्षा स्वं सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए महिला शिक्षा में प्रमुख अवरोधो को समझना आवश्यक है। समाज की अत्यधिक पितृ–सत्तात्मक प्रकृति, पारंपरिक रूढ़िवादी सोच, कम उम्र में विवाह, बालश्रम और संरचनात्मक और संस्थागत कारक के कारण देश की अधिकांश महिलाएं शिक्षा के अधिकार से वांचित रह जाती है। भारतीय परिवारों में विशेष रूप में ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाएं घर के कामों जैसे–भाई–बहन की देखभाल, पानी लाना, लकड़ी इकठ्टा करना, सफाई, खाना बनाना आदि की जिम्मेदारियों को निभाती है, जिससे इन बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। दहेज प्रथा और अन्य सामाजिक प्रथाएं बालिकाओं की उपेक्षा और बालिकाओं के प्रति भेद–भाव के मुख्य कारणों के रूप में कार्य करती है। इस कारण या तो लड़कियों का स्कूलों में नामांकन नहीं होता या बाद में स्कूल सिस्टम से ड्राप आऊट हो जाता है।

भारत में लड़कियों के लिए स्कूल का माहौल दिलचस्प और उत्साजनक होना चाहिए। मूलभूत सुविधाओं पीने का पानी, शौचालय की सुविधा की कमी, और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त व्यवस्था लड़कियों की शिक्षा में बाधक है। अब जबकि, यह सर्वविदित है। महिलाओं के सक्रिय योगदान के बिना समाज, कार्य नहीं कर सकता है। इन बाधाओं को दूर कर महिला शिक्षा को बढ़ावा देना होगा।

भारत सरकार द्वारा संचालित समग्र शिक्षा योजना

शिक्षा संविधान को समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों के अधीन है, तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के प्रत्येक छात्र की शिक्षा तक निरन्तर पहुँच हो, केन्द्र द्वारा प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की

सिफारिशों के अनुरूप समेकित किया गया है। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटना समग्र शिक्षा योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।

लड़कियों तक स्कूली शिक्षा में पहुँच भागीदारी और सीखने के परिणामें में सामाजिक श्रेणी के अन्तराल को पाटने के लिए राज्य द्वारा शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए स्कूल खोलनी, कक्षा आठवी तक की लड़कियो को मुफ्त पाठ्य पुस्तकों का प्रावधान, आठवी कक्षा तक की सभी लड़कियों को वर्दी लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षको के संवेदीकरण कार्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण आदि कार्यक्रम चलाएं जाते है। सब ही समग्र शिक्षा योजना के तहत लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य प्रमुख योजनाएं निम्न है–

लड़कियो के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्म रक्षा प्राशिक्षण

यह प्रावधान लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करना, लड़कियों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित है। कक्षा–6 से 12 तक की लड़कियों के बीच आत्म रक्षा और आत्म विकास के लिए जीवन कौशल विकासित करने के लिए तीन महीने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण लड़कियों को आत्मविश्वास बढ़ाने और भावी चुनौतियों का सामना करने को तैयार करता है, जो कि महिला सशक्तीकरण का महत्वपूर्ण पहलू है।

महिला शिक्षा के लिए राज्य की विशिष्ट परियोजनाएं

लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच, प्रतिधारण और गुणवर्त्ता पूर्ण शिक्षा हेतु समग्र शिक्षा में इक्विटी के तहत राज्य विशिष्ट परियोजनाओ का नामांकन अभियान, प्रतिधारण और प्रेरणा शिविर, लिंग संवेदीकरण माडयूल आदि को सहायता प्रदान की जाती है। राज्यो और केन्द्र शासित प्रदेशों में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित और क्रियान्वित योजनाओं में अनेक बिन्दुओं पर बल दिया जाता है जिससे महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलता है–

- लड़कियों और लड़को के नामांकन में और उपस्थिति में सुधार
- स्कूलों में सैनेटरी पैड बेंडिग मशीन और इंसीनरेटर
- लडकियों और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए स्कूल लर्निंग एक्सेल कार्यक्रम
- किशोरियो के लिए जीवन कौशल एवं किशोर कार्य क्रम
- लड़कियों के लिए कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम
- उच्च संस्थानों के साथ रोल माडल वाली छात्राओं से बातचीत/ साक्षात्कार
- गृह आधारित शिक्षा
- बालिका सशक्तीकरण परियोजना (प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर)
- नेतृत्व प्रशिक्षण और कौशल प्रशिक्षण
- लड़कियों को उनके अधिकारो के बारे में जागरूक करना, आत्मविश्वासी बनाने, नेतृत्व विकसित करने के लिए 'गर्ल एम्बेसडर
- लड़कियों के सशक्तीकरण और जेण्डर फ्रेंडली स्कूल वातावण के निर्माण के लिए
- आत्मरक्षा में अच्छा प्रदर्शन, पाठयेत्तर गतिविधियों, नेतृत्व कौशल, संचार और पारस्पारिक कौशल कार्यक्रम
- कक्षा और स्कूलों में लिंग और समानता के मुद्दो को बढ़ावा देने और उनका समाधान

करने के लिए माडयूल का विकास और लिंग उत्तरदायी शिक्षण सामग्री का विकास

- लड़कियों के स्कूल, छोड़ने में सुधार लाने, किशोर के मुद्दों का समाधान, जीवन को चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षण और सशक्त बनाने से संबधित कार्यक्रम
- लडकियों के अधिकारों के मुद्दो के लिए समुदाय को जागरूक एवं सगठित करने से संबंधित कार्यक्रम
- साइबर सुरक्षा और स्वास्थ्य मनो सामाजिक पहलुओं आदि पर शिक्षकों और छात्राओं का उन्मुखीकरण
- मनो सामाजिक कल्याण कार्यक्रम
- लड़कों और पुरूषो द्वारा महिला सशक्तीकरण में निभाई जा सकने वाली सकारात्मक भूमिका संबंधित जागरूता कार्यक्रम

आकांक्षी जिला योजना

समग्र शिक्षा के अंतर्गत अन्तर क्षेत्रीय, अन्तरराज्यीय और अन्तर जिला असमान्ताओं को दूर करने के लिए कदम उठाए जाते है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या (25 प्रतिशत से अधिक) के एवं 112 आकांक्षी जिला में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाते है। परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पी0ए0बी0) द्वारा योजना अनुमोदन के दौरान इन आकांक्षी जिलो पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इन जिलों में प्रगति की निगरानी के लिए नीति आयोग द्वारा एक मजबूत निगरानी प्रणली भी स्थापित की गई है।

किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

लड़कियों के लिए किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जा रहा है। लड़कियों में मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ाने के लिए स्कूलों में सेनटरी पैड, वेडिग मशीन, इंसीनरेटर मशीनों के लिए अनुदान दिया जाता है। इससे न केवल लड़कियों को स्कूलों में आने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता से पूरी उम्र उनके स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है।

कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श के लिए प्रोग्राम

कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श विशेष से लड़कियों के लिए बहुत महत्व का विषय है। माध्यमिक और वरिष्ट माध्यमिक स्तर पर कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श छात्राओं की उनकी योगयता, व्यक्तित्व और रूचि के आधार पर कैरियर के निर्णय लेने, में मदद करते है। छात्राओं में उनके लिए उपलब्ध कैरियर, और उपयोगी संस्थानों एवं कार्यक्रमों, विभिन्न छात्रवृत्तियों और अनुदानों के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय/छात्रावास

कम आबादी वाले, पहाड़ी और घने जंगलो वाले कठिन भौगोलिक इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाको, (ई0वी0वी0) विशेष फोकस जिलों, और नीति आयोग द्वारा पहचाने गए 112 आकांक्षी जिलो में जहां एक नया प्राथमिक या उच्च प्राथमिक और माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोलना व्यवहार्य नहीं है, वहां, बच्चों तक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय खोले गए है। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक नामांकन सुनिश्चित करना है। दुर्गम क्षेत्रों में इन आवासीय विद्यालयों और छात्रावासो की सुविधा से सभी वर्गो, विशेष रूप से लड़कियों को लाभ हुआ है। अब तक 25 राज्यों में 343

आवासीय विद्यालय और 704 आवासीय छात्रावास स्वीकृत किए गए है। जिनमें स्कूलों में छात्रों की संख्या 59200 और छात्रावासों में बच्चों की संख्या 52000 है।

समावेशी शिक्षा क्रार्यक्रम (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए)

समग्र शिक्षा योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा की प्री–नर्सरी से 12 वीं कक्षा तक जारी रखना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों मे लड़कियों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। योजना के तहत सभी बच्चों और विकलांगों को समावेशी शिक्षा तक पहुंच बनाने और उनके नामांकान प्रति धारण में सुधार करने स्कूलो में वास्तु संबंधी बाधाओं को दूर करना ताकि विकलांग छात्रों की स्कूल में कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, और शौचालयों तक पहुंच हो सके। सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलो में नामांकित विशेष आवश्यकता वाले सभी छात्र/छात्राओं के लिए 3500 रू0 प्रति वर्ष चिकित्सीय उपकरण एवं सेवाएं प्रदान की जाती है इसके अलावा विशेष रूप से छात्राओं को स्कूल प्रणाली में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 10 महीने के लिए 200 रू0 प्रतिमाह वजीफा दिया जाता है।

पृथक बालिका शौचालय की सुविधा

शौचालय की सुविधा यद्यपि सभी के लिए आवश्यक है, फिर भी बालिकाओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। बालिका शौचालय का अभाव लड़कियों के ड्रापआउट का प्रमुख कारण है। समग्र शिक्षा योजना में सभी स्कूलों में अनिवार्यतः बालिका शौचालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की (के0जी0वी0पी0 K.G.B.V) सुविधा

के0जी0बी0वी आवासीय विद्यालय/छात्रावासों में वंचित वर्गो की लड़कियों का नामांकन करके शिक्षा में लैंगिक अन्तर को पाटने एवं महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में स्थापित 'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय' अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक और गरीबी रेखा से नीचे जैसे वंचित समूहो से संबंधित लड़कियों के लिए उच्च प्राथामिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय है। के0जी0बी0वी0 में जीवन कौशल, आत्मरक्षा तकनीकी और एक्सपोजर विजिट, एकाउट, गाइड, साइकिलिंग और अन्य खेलों के माध्यम से शारीरिक शिक्षा, खेल, वाद–विवाद, कविता पाठ, नृत्य, संगीत और नाटक आदि के माध्यम से व्यक्तिगत विकास आदि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों पर बल दिया जाता है। यह योजना 30 राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। 7,79,548 लड़कियों की क्षमता वाले कुल 5615 के0जी0बी0वी0 को समग्र शिक्षा के तहत स्वीकृत किया गया है।

महिला सशक्तीकरण और महिला शिक्षा एक दूसरे के पूरक

महिला सशक्तीकरण और महिला शिक्षा एक दूसरे के पूरक कारक और आत्मनिर्भर है। जिस प्रकार महिला सशक्तीकरण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, उसी प्रकार सशक्त महिलाएं शिक्षा को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाती है। जहां शिक्षा की पहुंच, महिलाओं के जीवन और समाज में महिलाओं की स्थिति को मौलिक रूप में बदल देती है, वही महिला सशक्तीकरण से शिक्षा और शैक्षिक गतिविधियों को नए रूप में पोषित एवं परिभाषित कर उसकी सार्वभौमिक पहुंच और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है।

निष्कर्ष

हम अन्त में कह सकते है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है। 1.4 अरब की आबादी में लगभग आधी महिलाएं है। अतः सशक्त और आत्मानिर्भर भारत की संकल्पना के मूल में देश की आधी जनसंख्या (महिला शक्ति) की शिक्षा, स्वास्थ्य वर्क फोर्स में हिस्सेदारी, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी विद्यमान है। महिला सशक्तीकरण का सबसे अच्छा साधन शिक्षा है। अपाला, घोषा, और लोपामुद्रा का भारत इसे वास्तविक धरातल पर उतारने के लिए दृढ़ संकल्प है। महिलाओं और लड़कियों के लिए गुणवर्त्ता पूर्ण शिक्षा से महिला सशक्तीकरण और बेहतर समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- तिवारी0आर0पी0, भारतीय, नारी–वर्तमान समस्याएं एवं समाधान, दिल्ली।
- राजकुमार डा0 नारी के बदलते आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग
- व्यास, जय प्रकाश, नारी शोषण, ज्ञानदा प्रकाशन,
- आहूजा, राम, भारतीय सामाजिक व्यवस्था रावत प्रकाश जयपुर
- गुप्ता कमलेश कुमार, महिला सशक्तीकरण, बुक इंकलेते जयपुर
- हसनैन, नदीम, समकालीन भारतीय समाज भारत बुक सेंटर लखनऊ
- उपाध्याय, प्रतिभा, भारतीय शिक्षा में उदीयमान प्रवृत्तियां, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
- पाठक, पी0डी0भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा
- सारस्वत, मालती, भारीतय शिक्षा का विकास एवं समसामियक समस्याएं, आलोक, प्रकाश इलाहाबाद
- m.jagran.com
- https/www.jagran.com.uttarakhand
- https//www.allstudyjournal.com
- https//www.vivacepanorama.com
- https//www.drishtias.com
- https//www.wed.nic.in
- https//pmmodiyojana.in.woman.com

Copyright © 2017 *Dr. Beena Yadav*. This is an open access refereed article distributed under the Creative Common Attribution License which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.